न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 61 / 15 — निर्णय दिनांकः– 22/11/2021
(जीसीएमएस संख्या 2015 / 00298)

1. फौजिया पुत्र गोपाल जाति बावरी साकिन तेनदेसर तहसील सुजानगढ़ हाल तहसील बीदासर जिला चूरू आबाद चक 15 डब्ल्यूएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 02–03–1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 02–03–1982 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन बिना सुने एकतरफा तौर पर कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:35:10 IST
Reason: Self Attested

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील छत्तरगढ़ में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त भूमि चक 1 जेडडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 9/13 की 25 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये अपीलां का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट् बावजूद सूचना आवंटन पट्टा प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश [illegible] के विरूद्व अपील दिनांक 25—06—15 को पेश की है। जो [illegible] पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र [illegible] मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:35:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–03–1982 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25–06–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र अपीलांट को चक 1 जेडडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 9/13 की 25 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन कब्जा प्राप्त नहीं करने के आधार पर खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–06–1981 को अपीलांट के पक्ष में चक 1 जेडडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 9/13 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि कब्जा प्राप्त करने हेतु अपीलांट को जरिये नोटिस व अखबार साया के माध्यम से सूचित किया गया। परन्तु अपीलांट ना तो आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ही प्राप्त किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। न्यायालय अंतहीन समय तक किसी आवेदक का इंतजार नहीं कर सकता और न ही अन्य काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:35:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–03–1982 के माध्यम से खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

प्रकरण में हमने अदालत मातहत की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि अपीलांट के उक्त आवंटन को दिनांक 02–03–1982 को खारिज करने उपरान्त पूर्व में आवंटित/निरस्त भूमि की एवज में दिनांक 02–02–1984 को अपीलांट को पुनः चक 2 डीएल के मुरब्बा नम्बर 166/32, 167/11 व 167/19 में 9 बीघा कमाण्ड व 28 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट पूर्व में आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि प्राप्त कर चुका है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 02–03–1982 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22/11/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/11/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:35:10 IST
Reason: SelfAttested